

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री अनिल नाथ वार्ड न0 10 भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 106/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2026	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।अपीलार्थी ने अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन क्रमांक 249476091397193 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान् की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 836 दिनांक 05.05.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना/जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 723 दिनांक 21.04.2026 से ऑनलाईन पोर्टल पर के माध्यम से व डाक द्वारा प्रेषित कर दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। <p>निर्णय आज दिनांक 19-05-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलार्थी अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा</p>	

